एग्री आर्टिकल्स
(कृषि लेखों के लिए ई-पत्रिका)
वर्ष: 03, अंक: 01 (जनवरी-फरवरी, 2023)
www.agriarticles.com पर ऑनलाइन उपलब्ध
© एग्री आर्टिकल्स, आई. एस. एस. एन.: 2582-9882

जन समर्थ पोर्टल: कृषि क्षेत्र के लिए एक कल्याणकारी कदम

(*संस्करण स्वामी एवं विजेंद्र कुमार)
कृषि महाविद्यालय, एसकेआरएयू ,बीकानेर
*संवादी लेखक का ईमेल पता: sanskaranswami@gmail.com

जन समर्थ एक ऐसा डिजिटल पोर्टल है जिसपर एक ही प्लेटफॉर्म पर 13 क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाएं लिंक्ड रखी गई हैं. इन योजनाओं के आवेदक या लाभार्थी आसान स्टेप्स में अपनी एलिजिबिलिटी की जांच कर सकते हैं. जिन योजनाओं को इस पोर्टल से लिंक्ड कर दिया गया है उनपर आवेदन कर सकते हैं और डिजिटल मंजूरी भी हासिल कर सकते हैं.

क्या–क्या सुविधाएं होंगी जन समर्थ पोर्टल पर

लोन लेने के लिए आवेदन देने से लेकर उसकी मंजूरी तक, पोर्टल में आवेदन की स्थिति और लोन की प्रक्रिया कहां तक पहुंची–ये भी देखा जा सकेगा. इसके अलावा एप्लीकेंट लोन नहीं मिलने या अन्य किसी असुविधा के लिए ऑनलाइन शिकायत भी कर सकेंगे.

क्या हैं जन समर्थ पोर्टल की खासियतें

- जन समर्थ पोर्टल पर बैंक और लोन देने वाली कई एनबीएफसी या अन्य संस्थाएं उपलब्ध होंगी जो इस पोर्टल पर आने वाली लोन एप्लीकेशंस पर अपनी मंजूरी दे सकती हैं.
- इस पोर्टल से बैंकों समेत 125 से ज्यादा फाइनेंशियल संस्थान जुड़ चुके हैं.
- इस पोर्टल से 13 सरकारी स्कीम के तहत फिलहाल चार कैटेगरी के लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं.
- चार कैटेगरी के लोन में शिक्षा, कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर, कारोबार की शुरुआत और जीवनयापन लोन शामिल हैं.

कैसे करेंगे जन समर्थ पोर्टल पर अप्लाई?

मौजूदा समय में 4 लोन कैटेगरी हैं और हरेक लोन कैटेगरी के तहत कई सरकारी योजनाएं इसमें लिंक्ड हैं. आपको जिस लोन कैटेगरी के लिए लोन लेना है उसमें जाकर पहले कुछ आसान से सवालों के जवाब देने होंगे. जवाबों के जरिए आप किसी भी पर्टिकुलर स्कीम के लिए अपनी पात्रता या एलिजिबिलिटी जांच सकेंगे. अगर आप एलिजिबिल हैं तो ऑनलाइन आवेदन भर सकेंगे और इसके बाद आपको डिजिटल अप्रूवल भी इसी पोर्टल पर आसानी से मिल सकेगा जिसके जरिए आप लोन ले सकेंगे.

जन समर्थ पोर्टल की लोन केटेगरी

जन समर्थ पोर्टल पर निम्नलिखित श्रेणीयों मे लोन दिया जाता है

1. **शिक्षा ऋण..** इस श्रेणी मे निम्नलिखित योजनाए शामिल है

अ. केन्द्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (सीएसआईएस)

परिचय

1. सीएसआईएस एक अनूठी योजना है जो इस दृष्टि के इर्द गिर्द घूमती है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इचछक किसी भी छात्र को उनकी आर्थक स्थति के आधार पर अवसर से वंचित नहीं किया जाए।

2. यह योजना भारत मे वयवसायिकध्तकनीकी पाठकमों को आगे बढ़ने के लिए आर्थक रुप से कमजोर छात्रों की सभी श्रेणियों को लाभान्वित करती है और सस्ती उच्च शिक्षा प्रदान करने की इच्छा रखती है।
3. इस योजना में देश मे योग्य तकनीशियनों/पेशेवरों की संख्या बढ़ने की परिकलना की गई है।

योग्य आवेदक

1. ऐसे सभी छात्र, जो सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय 4.5 लाख रपये प्रतिवर्ष से अधि क नहीं है।
2. जो छात भारत मे एनएएसी, एनबीए, सीएफटीआई मान्यता प्राप्त या नियामक अनुमोदित संस्थनों में तकनीकी/व्यावसायिक कोर्स करना चाहते है।

अर्हक सब्सिडी

1. स्वीकृत ऋण राशि (आईबीए मॉडल शिक्षा ऋण योजना के मानकों के भीतर) के बावजूद सब्सिडी राशि केवल 7.50 लाख रुपये होगी ।
2. इस योजना के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी उन छात्रों के लिए उपलब्ध नहीं होगी , जो एक बार कोर्स बीच में ही बदं कर देते है, या जिन्हे अनुशासनात्मक या शैकणिक आधार पर संस्थनों से निकाल दिया जाता है। हालांकि, ब्याज सब्सिडी केवल तभी मिलेगी जब चिकित्सा आधार के कारण रोकी गयी थी , जिसके लिए शैकणिक संस्थान के प्रमुख की संतुष्टि के लिए आवशक दस्तावेज देने होगें ।
3. बैकों को ब्याज सब्सिडी दावों का संवितरण अर्द्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर होगा, जिसे शिक्षा मंत्रालय के परामर्श से तैयार किया जाना चाहिए।
4. योजना के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी पात्र छात्र को भारत में पहले स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम या स्नातकोतर डिग्रीध डिप्लोमा के लिए केवल एक बार उपलब होगी । हालांकि, एकीकृत पाठकमों (स्नातक और स्नातकोतर) के लिए ब्याज सब्सिडी स्वीकार्य होगी ।
5. सब्सिडी अधिस्थगन की अवधि के लिए प्रदान की जाती है, अर्थात पथ्यकरम पूरा होने के 12 महीने बाद अधिस्थगन अवधि समाप्त होने के बाद , बकाया ऋण राशि पर ब्याज का भुगतान छात्र द्वारा शिक्षा ऋण योजना के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा ।

आ. पढ़ो परदेश

परिचय

1. पढ़ो परदेश – विदेश में पढ़ाई के लिए शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों की शैक्षिक उन्नति को बढ़वा देना है।
2. पात्र छात्रों को योजना के तहत ब्याज सब्सिडी केवल एक बार ही उपलब्ध होगी।
3. अलसंखक कार्य मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार, छात्राओं के लिए 35ः सीटें निर्धारित की जाएंगी। छात्राओं की अनुपलब्दता की स्थति में सीटों को छात्रों को स्थानान्तरित किया जा सकता है।

योग्य आवेदक

1. योजना के तहत ब्याज सब्सिडी मास्टर, एम.फिल या पीएचडी स्तर के लिए नामांकित पात्र छात्रों को उपलब होगी।
2. अनुमोदित पाठक्रमों में छात्रों का प्रवेश सुरक्षित होना चाहिए।
3. छात्र को इस उददेश्य के लिए भारतीय बैक संघ (आईबीए) की शिक्षा ऋण योजना के तहत अनुसूचित बैंक से ऋण लेना चाहिए था।
4. छात्र ने पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के दौरान योजना के तहत लाभों के लिए आवेदन किया हो।
5. बेरोजगार उम्मीदवार के मामले में नियोजित उम्मीदवार या उसके माता–पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से कुल आय 6.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक न हो।

अतिरिक्त जानकारी

1. उन आवेदनों को वरीयता दी जाएगी जो प्रत्येक राजध्संघ राज क्षेत्र के लिए विभिन्न बैकों द्वारा उनके कोटे से कम ब्याज दर के अंतर्गत कवर किए जाते है।
2. इस योजना के तहत लाभ परप करने वाले छात्रों को ब्याज सब्सिडी नहीं दी जाएगी यदि वह अधिस्थगन अवधि के दौरान भारतीय नागरिकता छोड देते है।

3. ब्याज सब्सिडी उन छात्रों के लिए उपलब्ध नहीं होगी, जिन्होने या तो किसी भी कारण से पाठक्रम को बीच में ही छोड दिया है, या जिन्हे अनुशासनात्मक या शैकणिक आधार पर संस्थानों से निष्कसित कर दिया गया है।

इ. डॉ. अंबेडकर केंद्रीय योजना

परिचय

1. विदेश में पढ़ाई के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी की योजना ।
2. ओबीसी और ईबीसी छा त्रों की शैक्षिक प्रगति को बढ़ावा देना ।
3. यह योजना विदेश में उच्च शिक्षा के लिए लागू है।

योग्य आवेदक

1. छात्र को विदेश में मास्टर्स, एम.फिल या पीएच.डी स्तरों पर अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त हो ।
2. छात्र को इस उद्देश्य के लिए भारतीय बैंक संघ (आईबीए) की शिक्षा ऋण योजना के तहत अनुसूचित बैंक से ऋण प्राप्त हो।
3. ओबीसी श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रोफार्मा (अनुबंध के अनुसार) में) ओबीसी प्रमाण पत्र बैंकों द्वारा लिया गया हो ।
4. ओबीसी उम्मीदवारों के लिए नियोजित उम्मीदवार या बेरोजगार उम्मीदवार के मामले में उसके माता –पिता/अभिभावकों के सभी स्रोतों से कुल आय वर्तमान क्रीमीलेयर मानदंड से 8 लाख रुपए से अधिक न हो ।
5. ईबीसी उम्मीदवारों के लिए नियोजित उम्मीदवार या बेरोजगार उम्मीदवार के मामले में उसके माता –पिता/अभिभावकों के सभी स्रोतों से कुल आय 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक न हो ।

अतिरिक्त जानकारी

1. यदि छात्र ऋण की अवधि के दौरान भारतीय नागरिकता छोड़ देता है, तो इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले छात्रों को ब्याज सब्सिडी नहीं दी जाएगी ।
2. ब्याज सब्सिडी उन छात्रों के लिए उपलब्ध नहीं होगी, जिन्होंने या तो किसी भी कारण से पाठ्यक्रम को बीच में ही बंद कर दिया है, या जिन्हें अनुशासनात्मक या शैक्षणिक आधार पर संस्थानों से निष्कासित कर दिया गया है।
3. प्रक्रिया में सुधार लाने और उसके बेहतर क्रियान्वयन हेतु सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के विवेकाधिकार पर योजना के नियम और शर्तों को किसी भी समय बदला जा सकता है। हालांकि, कोई वित्तीय प्रभाव नहीं होना चाहिए।
4. दिशा निर्देशों के अनुसार, योजना के तहत कुल आवंटन का कम से कम 50: महिला छात्रों के लिए निर्धारित किया जाएगा ।

2. कृषि ऋण

अ. कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय (एसीएबीसी) योजना

परिचय

1. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नाबार्ड और मैनेज के सहयोग से कृ षि–क्लिनिक और कृषि–व्यवसाय केद्र (एसीएबीसी) योजना लागू की जा रही है।
2. योजना का उद्देश्य सार्जनिक विस्तार के प्रयासों को पूरक बनाना, कृषि विकास को सहायता प्रदान करना और बेरोजगार कृषि स्नातकों आदि के लिए लाभकारी स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है।
3. कृषि–क्लिनिकरू कृषि–क्लिनिक किसानों को मृदा स्वास्थ्य, फसल उगाने की पदतियों, पौधों की सुरक्षा, फसल बीमा, कटाई के बाद की प्रोद्धोगिकियों के लिए विशेषज्ञ सलाह और सेवाएं प्रदान करते है, साथ ही पशुओं के लिए नैदानिक सेवाएं , चारा और चारा प्रबंधन, विभिन फसलों की बाजार में कीमतों की पेशकश आदि करते है।
4. कृषि–व्यवसाय केद्ररू कृषि–व्यवसाय केद्र बेरोजगार प्रशिक्षित कृ षि पेशेवरों द्वारा स्थपित कृ षि–उदमों की इकाइयाँ है, जिनमे कृषि उपकरणों के रखरखाव और कस्टम हायरिंग, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में निवेश्य वस्तुओं (इनपुट) और अन्य सेवाओं की बिक्री शामिल है।

5. परियोजना लागत का 44 प्रतिशत महिलाओं, अनुसूचित जाति ध्अनुसूचित जनजाति और पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के सभी श्रेणियों के उममदवारों के लिए समग्र सब्सिडी के रूप में और अन्य सभी के लिए परियोजना लागत का 36 प्रतिशत होगा।

योग्य आवेदक

1. केवल वे उममदवार, ऋणध्सब्सिडी के लिए पात्र होंगे जिन्होंने मैनेज (ड।छ।ळम्) के माधम से प्रशिक्षण पूरा किया है।
2. सेवानिवृत अधिकारी इस योजना के तहत सब्सिडी के लिए पात नहीं है, हालाकिं वे प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते है बशर्ते वे स्व–वितपोषण से उध्यम स्थपित करे और सब्सिडी के लिए दावा न करे।
3. कृषि से संबद्ध विषयों जैसे बागवानी , पशुपालन, वानिकी, डेयरी, पशु चिकित्सा, कुक्कूट पालन और रेशम उत्पादन आदि मे बेरोजगार कृषि स्नातक/स्नातक।
4. कृषि और संबद्ध विषयों मे स्नातकोत्तर।
5. यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम जिसमे कृषि और संबद्ध विषयों मे पाठ्यक्रम सामग्री का 60 प्रतिशत से अधिक है।
6. कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ इंटरमीडिएट (यानी , प्लस टू) स्तर पर कृषि संबंधी पाठ्यक्रम।
7. अन्य पात्र आवेदकों का विवरण एसीएबीसी योजना दिशानिर्देशों में दिया गया है।

अतिरिक्त जानकारी

1. कृषि पृष्ठभमि वाले स्नातकों को निरूशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा, यदि वे केंद्र स्थापित करना चाहते है।
2. राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान नोडल प्रशिक्षण संस्थनों के माधम से योग्य उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करने और उन्हे कृषि–क्लिनिक और कृषि–व्यापार केंद्र स्थापित करने के लिए प्रेरित करने के लिए जिम्मेदार होगा।
3. सब्सिडी के लिए परियोजना लागत की सीमा एक व्यक्तिगत परियोजना के लिए 20 लाख रुपये (अत्यंत सफल व्यक्तिगत परियोजनाओं के मामले में 25 लाख रुपये) और समूह परियोजना (कम से कम 5 प्रशिक्षित व्यक्तियों वाले समूह द्वारा स्थपित स्कीम के तहत) के लिए 100 लाख रुपये तक है।
4. यह योजना बेहतर खेती के तरीकों को बढ़वा देती है और कृषि विकास और उद्यमिता का समर्थन करने के साथ–साथ कृषि क्षेत्र को विकसित करने के लिए प्रशिक्षित पेशेवरों का उपयोग करती है।

आ. कृषि अवसंरचना निधि

परिचय

1. कृषि अवसंरचना कोष फसल कटाई के बाद के चरण के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
2. इस तरह के बुनियादी ढांचे का विकास प्रकृति की अनिश्चित्ताओं, क्षेत्रीय असमानताओं, मानव संसाधन के विकास और हमारे सीमि भूमि संसाधन की पूरी क्षमता की प्राप्ति को भी संबोधित करेगा ।
3. लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश, किसान फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करके और बिचौलियों की एक छोटी संख्या के साथ बाजार में बेचने में सक्षम होंगे।

योग्य आवेदक

1. प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ ।
2. विपणन सहकारी समितियाँ ।
3. किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)।
4. किसान।
5. स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)
6. संयुक्त देयता समूह (जेएलजी)।
7. बहुउद्देशीय सहकारी समितियाँ ।
8. कृषि –उद्यमी, स्टार्टअप।
9. केंद्रीयध्राज्य एजेंसी या स्थानीय निकाय प्रायोजित सार्वजनिक–निजी भागीदारी परियोजनाएं।

अतिरिक्त जानकारी

1. किसानों को सीधे उपभोक्ताओं के बड़े आधार पर बेचने की अनुमति देने के लिए बेहतर विपणन बुनियादी ढांचे और इसलिए, किसानों के लिए मूल्य प्राप्ति में वृद्धि।
2. वित्तीय सुविधा के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए तक की सीमा तक वार्षिक 3 प्रतिशत की ब्याज छूट होगी ।
3. यह ब्याज छूट अधिकतम 7 साल की अवधि के लिए उपलब्ध होगा ।
4. 2 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण के मामले में, ब्याज छूट 2 करोड़ रुपए तक सीमित होगी । कुल वित्त पोषण सुविधा में से निजी उद्यमियों को दिए जाने वाले वित्त पोषण की सीमा और प्रतिशत राष्ट्रीय निगरानी समिति द्वारा तय की जा सकती है।

इ. कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई)

परिचय

1. भंडारण बुनियादी ढांचे सहित कृषि विपणन बुनियादी ढांचे के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, विपणन और निरीक्षण निदेशालय (डी एमआई), डीए एंड एफडब्ल्यू का एक संलग्न कार्यालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कृषि विपणन (आईएसएएम) के लिए एकीकृत योजना की एक उप–योजना कृषि विपणन अवसंरचना (एमआई) लागू कर रहा है।
2. योजना के प्रमुख उद्देश्यों में किसानों , राज्यों , सहकारी समितियों और निजी क्षेत्र के निवेशों को बैकएंड सब्सिडी सहायता प्रदान करके कृषि विपणन बुनियादी ढांचे के निर्माण को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में वैज्ञानिक भंडारण क्षमता के निर्माण को बढ़ावा देना है ताकि बिक्री के संकट से बचा जा सके और किसानों की आय में वृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके।
3. एएमआई मांग संचालित, क्रेडिट लिंक्ड, बैकएंडेड सब्सिडी योजना है जिसमें लाभार्थियों को उपलब्ध सब्सिडी सहायता 25 प्रतिशत और 33.33 प्रतिशत नाबार्ड, एनसीडीसी एंड डीएमआई/डीए एंड एफडब्ल्यू के माध्यम से भेजी जाती है।
4. एएमआई योजना के तहत, पात्र बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भंडारण बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, विपणन बुनियादी ढांचा परियोजनाएं (भंडारण के अतिरिक्त) जैसे सफाई, ग्रेडिंग, छंटाई, पैकिंग आदि , एफपीओ के लिए सामान्य सुविधा केंद्र, बाजार यार्ड में सामान्य सुविधाएं/विपणन बुनियादी ढांचा (एपीएमसी) शामिल हैं) और मिनी ऑयल एक्सपेलर, मिनी दाल मिल, ग्रामीण हाटों/आरपीएम को ग्रामीण कृषि बाजार (जीआरएएमएस) के रूप में विकास/उन्नयन, प्रत्यक्ष विपणन के लिए बुनियादी ढांचा , स्टैंड–अलोन मानकीकृत कोल्ड स्टोरेज इकाइयों सहित अन्य मूल्यवर्धन गतिविधियां आदि ।

योग्य आवेदक

किसान, व्यक्तियों , किसानों ध्उत्पादकों का समूह, पंजीकृत एफपीओध्एफपीसी , साझेदारी ध्स्वामित्व फर्म, कंपनियां , निगमय गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियां , सहकारी विपणन संघय सरकार के स्वायत्त निकाय, स्थानीय निकाय, पंचायतय राज्य सरकार विभाग और स्वायत्त संगठनध्राज्य निगम जैसे एपीएमसी और एसएएमबी , एसडब्ल्यूसी , राज्य नागरिक आपूर्ति निगम आदि सहित राज्य एजेंसियां ।

अतिरिक्त जानकारी

1. एएमआई के तहत देश भर में प्रमोटरों की सभी श्रेणियों के लिए 50–5000 मीट्रिक टन और राज्य एजेंसियों के लिए 50–10000 मीट्रिक टन भंडारण अवसंरचना क्षमता के लिए, सभी राज्यों ध्केंद्र शासित प्रदेशों में सब्सिडी का दावा करने के लिए पात्र हैं।
2. प्रमोटर का योगदान परियोजना लागत के न्यूनतम 20 प्रतिशत से अधिकतम 50 प्रतिशत तक होना चाहिए।
3. उप–योजना के तहत निर्मित होने वाली भंडारण अवसंरचना परियोजनाओं का निर्माण संरचनात्मक रूप से सुदृढ़ इंजीनियरिंग डिजाइन के आधार पर किया जाना चाहिए और कृषि उपज के भंडारण के लिए कार्यात्मक रूप से उपयुक्त भी होना चाहिए।
4. विस्तृत परिचालन दिशा निर्देश https://dmi.gov.in/Schemeamigs.aspx